न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 99/2021

वादी :–

बाबुलाल पुत्र भिरदाराम जाति विश्नोई
निवासी विष्णुनगर तहसील पीपाड़
शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

राजस्थान सरकार जरीये
तहसीलदार, पीपाड़ शहर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री मधुसुदन चौधरी वादी की ओर से
प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय दिनांक 24.11.2021

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम चौढ़ा तहसील पीपाड़ शहर के खाता सं. 242 खसरा नम्बर 235 रकबा 0.2103 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरानम्बर 236 रकबा 8.4379 किस्म चाही चतुर्थ, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.0243 हैक्टयर किस्म गै.मु. धेड़की, खसरा नम्बर 246 रकबा 0.7847 हैक्टयर किस्म बारनी द्वितीय, भूमि आई हुई । इसी प्रकार ग्राम बेनण की राजस्व सीमा में खाता सं 188 खसरा नम्बर 794 रकबा 1.4481 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 800 1.1326 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि आई हुई है । वादी ने अपने ग्राम चौढा व बेनण की राजस्व सीमा मे स्थित जमीन पर किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु नकले प्राप्त की इस पर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे बाबूलाल पुत्र भिरदाराम के स्थान पर गलत रूप से भंवराराम पुत्र श्री बिडदाराम दर्ज था इस पर वादी ने राजस्व रेकर्ड में अपना नाम भंवराराम पुत्र बिडदाराम के स्थान सही नाम बाबूलाल पुत्र भिदाराम दुरूस्त करने हेतु वाद पेश किया गया । वादी के हक मे एवं प्रतिवादी के विरूद्ध वाद डिकी फरमाया जाकर ग्राम चौढा की राजस्व सीमा मे स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 235,236,245,246 कुल खसरा 04 कुल रकबा 9.4572 हैक्टेयर मे वादी को 1/12 वां हिस्सा का खातेदार घोषित फरमावे तथा राजस्व रेकार्ड मे भंवराराम पुत्र श्री बिडदाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र श्री भिरदाराम दुरूस्त कर इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया ह। वादी के हक मे एवं प्रतिवादी के विरूद्ध वाद डिकी फरमाया जाकर ग्राम बेनण की राजस्व सीमा मे स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 794,800 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.5807 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार घोषित

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड से भंवरलाल पुत्र बिरदाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र श्री भिरदाराम दुरूस्त कर इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर का सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ जिन्होने दिनांक 24.11.2021 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी खातेदार का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी ग्राम चौढ़ा के खाता सं. 242 एवं जमाबन्दी ग्राम बेनण के खाता सं. 188 में दर्ज भंवरलाल पुत्र भिरदाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र भिरदाराम किया जाता है तो, तहसीलदार पीपाड़ शहर को कोई आपति नही है ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजो एवं प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब का अवलोकन किया गया तथा बहस पक्षकारान सुनी जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम चौढ़ा के खाता सं. 242 एवं जमाबन्दी ग्राम बेनण के खाता सं. 188 में दर्ज नाम भंवरलाल पुत्र भिरदाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र भिरदाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमे आज सुनाया गया ।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)